

:: कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर ::

:- सेवानिवृत्ति आदेश :-

राजस्थान शिक्षा सेवा के प्रधानाचार्य-उमावि य समकक्ष पद के, निम्नांकित शिक्षा अधिकारी को 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर, उनके नाम के सम्मुख वर्णित (कॉलम संख्या-06 में अंकितानुसार) सेवानिवृत्ति तिथि से सरकारी सेवा से अपरान्त सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्रं.सं.	नाम कार्मिक सर्वश्री/श्रीमती	पदस्थापन स्थान	जिला	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
01	02	03	04	05	06
01	श्री ओम प्रकाश महावर, निलंबित प्रधानाचार्य-उमावि	राउमावि दरबार, टोंक हाल मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) माध्यमिक, भीलवाडा।	भीलवाडा	12.09.1961	30.09.2021

श्री ओमप्रकाश महावर के विरुद्ध सीसीए-16 अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही विचाराधीन होने के कारण प्रारूप-6 में सेवा संतोषजनक प्रमाण पत्र जारी नहीं किया जा रहा है।



(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा
राजस्थान, बीकानेर

क्रंमाक शिविरा-मा/संस्था/बी-2/सेवानिवृत्ति/प्रधाना-उमावि/2021-22/ दिनांक 29.09.2021

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

- 01 सयुक्त निदेशक, स्कूल शिक्षा, संभाग मुख्यालय, अजमेर।
- 02 मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा।
- 03 जिला शिक्षा अधिकारी-माध्यमिक शिक्षा, भीलवाडा।
- 04 सम्बन्धित सयुक्त-निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग।
- 05 सिस्टम एनॉलिस्ट कम प्रोग्रामर (सयुक्त निदेशक) कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को आदेश की प्रति
- 06 संबंधित मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी/नियंत्रण अधिकारी
- 07 सहायक निदेशक, विभागीय जांच/प्राथमिक जांच अनुभाग/प्रभाग ए-3 को सूचनार्थ
- 08 सम्बन्धित संस्था प्रधान/ सम्बन्धित कार्मिक को पालनार्थ।
- 09 रक्षित / निजी पत्रावली।

(सयुक्त निदेशक (कार्मिक))